

सं०सं० 3763-3769/यूपीसीडा/आई/

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 4025/यूपीसीडा/आईए/ऑनलाईन आवंटन दिनांक 24.09.2019 में पैरा-2 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त निम्न आंशिक संशोधन किया जाता है।

“उपरोक्त समिति भूखण्डों के आवंटन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित परियोजना आकलन समिति द्वारा की गई संस्तुति पर परीक्षणोपरान्त अपनी टिप्पणी (सर्वसम्मति से निर्णीत न होने की स्थिति में सदस्यों द्वारा की गई टीप के साथ) निर्धारित 07 दिन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को ऑनलाईन प्रेषित करेगी। उक्त समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार एवं बुधवार को मुख्यालय बोर्डरूम में सायं 4:00 आयोजित की जायेगी। यदि समिति का कोई भी सदस्य उक्त दिवसों में मुख्यालय में उपस्थित नहीं है तो उनके द्वारा वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। तथा समिति के सदस्यों द्वारा उसी दिन बैठक के कार्यवृत्त को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।”

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

(चर्चित गौड़)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सं०सं० 3763-3769/यूपीसीडा/आई/

दिनांक ०९-१२-२५.

प्रतिलिपि:

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सी/ए), यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर।
4. समस्त सदस्य/क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीसीडा।
5. समस्त प्रभारी/अधिकारी/कर्मचारी औ०क्षेत्र यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर।
6. प्रभारी कम्प्यूटर यूपीसीडा, मुख्यालय कानपुर को इस आशय से प्रेषित की उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाईल।

(चर्चित गौड़)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी